23/12/21
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 17/2/22 को पेश हो।

17/2/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 13/4/22 को पेश हो।

13/4/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 29/6/22 को पेश हो।

29/6/22 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी
हाजिर। तहसीलदार शाहपुरा से पत्रांक
1121/604 दिनांक 13/5/22 से लिखा
पत्र हुई जिस रिकार्ड पर लिखा
गया है तहसीलदार शाहपुरा द्वारा
अवगत कराया गया है कि वादी द्वारा
प्रतिवादी बेटवाड़ा नहीं कराना चाहते
है पत्रावली का अवलोकन किया
मनन किया वादी द्वारा प्रतिवादीगण
बेटवाड़ा नहीं चाहते है ऐसी स्थिति
मे पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष
नही रहने से पत्रावली को
नस्ती होने से पत्रावली को
अतः अपील वादी का वाद अन्तर्गत
धारा 53 B of TA 1951 की अन्तर्
गत खारिज किया जाता है। पत्रावली की
नियमानुसार निर्णित इन्डेक्स की जाकर बाद
अवकाश प्राप्त होने अपील लघुवाद मे
जाने निमित्त मुख्य न्यायालय मे प्रेषित
करावे।

(नीता वसीता)
सिविल जज
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 12:50:09 IST
Reason: SelfAttested